उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी – श्री प्रेमकुमार देवडा

निर्णय दिनांक

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीगण के पेष किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि गांव गोलीया मगरा तहसील लूणी जिला जोधपुर में कृषि भूमि खसरा न 211 रकबा 43 बीघा 7 बिस खसरा न 212 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा , खसरा न 244 रकबा 5 बिस्वा खसरा न 245 रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा कुल 75 बीघा 17 बिस्वा आई हुई है। खसरा न 211 की भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 09 से 12 कि अलग अलग रहवासीय ढाणीया बनी हुई है जिनमे वे निवास करते है।

भूमि सामलाती खाते की होने व अविभाजित होने से काश्त के वक्त छोटी मोटी बात पर अनावश्यक विवाद खडा हो जाता है व इस वर्ष भी वर्षात होने पर दिनांक 07.06.2015 को अप्रार्थीगण 09 से 11 ने प्रार्थी से झगडा किया व बुवाई हेतु मुख्य सडक से टेक्टर को अन्दर लाने में रुकावट पैदा की बडी मुश्किल से प्रार्थी ने उन्हे समझाया की टेक्टर को अन्दर आने दिया जावे तो वे वहा से हटे तथा जाते जाते कह गये की अगले वर्ष वे प्रार्थी को न तो टेक्टर अन्दर लाने देंगे व न काश्त करने देंगे।प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का अभिलिखित सह खातेदार व उसे सयुक्त खाते की उक्त जोत का विभाजन करने के कानूनी अधिकार है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 24.07.2015 को प्रस्तुत किया एवम दिनांक 27.08.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की ओर से श्री संतोष चोधरी ने अपना वकालतनामा पेश किया और पत्रावली जवाब के लिए विचाराधीन रही। आदेषिका दिनांक 22.11.16 में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहते हुए जवाब बंद किया गया और बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई । वकील प्रार्थी ने मुख्य रुप से बताया कि भूमि सयुक्त रुप से खातेदारी में दर्ज तथा बुवाई के समय हिस्से व स्थल को लेकर विवाद रहता है अतः अप्रार्थीगण के विरुद्व इस प्रकार के निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

प्रार्थी को सयुक्त काश्त की जोत में कार्य करने से नहीं रोका जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2068–2071 की छाया प्रति पेश की है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अस्थाई व्यादेश देने का एक पारम्परिक तरीका है, जिसमें तीन बातों पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात् (1) प्रथम दृष्टया मामलाः– प्रार्थी को अपने प्रार्थना पत्र में तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह बतलाना होगा कि प्रार्थी के पक्ष में किस प्रकार मजबूत मामला है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में यह उपबंध है कि इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि किसी सम्पति का जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, इस संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अथवा विषयवस्तु आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह उपरोक्त वर्णित तथ्यों को प्रमाणित करता हो। केवल मात्र जमाबंदी प्रस्तुत कर देने से प्रार्थी अपने पक्ष में मजबूत एवं सुदृढ़ प्रथम दृष्टया मामला होना प्रमाणित नहीं कर पाया है (2) सुविधा का संतुलनः– पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन किस रूप में है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या संक्रान्त किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इस स्थिति में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्षधर नहीं पाया जाता है (3) अपूरणीय क्षतिः– अस्थाई व्यादेश प्राप्त करने के लिये प्रार्थी को यह बताना होगा कि उस पक्षकार के विरूद्ध एक बाध्यता उत्पन्न करता है कि वह उसको हुई क्षति का अप्रार्थी क्षतिपूर्ति भी नहीं कर पायेगा। प्रार्थी द्वारा अपूरणीय क्षति के संबंध में भी अपना पक्ष मजबूती से पेश नहीं किया है और न ही कोई दस्तावेज पेश किये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकार अधिनियम 212 के अन्तर्गत वेग आधारों पर पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner

निर्णय

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(राजेन्द्र कुमार डांगा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 30-5-19 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner